

नरेन्द्र सिंह तोमर  
कृषि और किसान कल्याण मंत्री,  
भारत सरकार



17 December, 2020

## किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र

प्रिय किसान भाइयों और बहनों,


ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है, वे इससे बहुत खुश हैं, किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं, जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है।

लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक प्रम पैदा कर दिया गया है।

देश का कृषि मंत्री होने के नाते, मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, हर किसान की चिंता दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रखी जा रही है, उसकी सच्चाई और सही वस्तुस्थिति आपके सामने रखूं।

मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां, दोनों को ही देखते हुए, समझते हुए, मैं बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलते हुए मेड़ टट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी- ये सब मेरे भी जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है।

इन स्थितियों, परिस्थितियों के बीच भी देश का किसान देश के लिए ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाने का प्रयास करता है। भारत के किसान के इस परिश्रम को, इस इच्छाशक्ति को हमने




कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। किसानों ने बंपर उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। इस दौरान रिकॉर्डतोड़ बुआई करके भविष्य में और अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर दी।

कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार MSP पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार MSP पर खरीद के नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि MSP बंद कर दी जाएगी।

मेरा किसानों से आग्रह है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचानें और इसे सिरे से खारिज करें। जिस सरकार ने किसानों को लागत का

झूठ	सच
MSP की व्यवस्था खत्म हो रही है। APMC मंडियां बंद की जा रही हैं।	MSP सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। APMC मंडियां कारबग रहेंगी। APMC मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं।
किसानों की जमीन खतरे में है।	एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा।
किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्ट्स जमीन हथिया सकते हैं।	परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है।	फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा।
किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा।	किसानों का भुगतान तय समयसीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा।
किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं।	किसान किसी भी समय बाहर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं।
पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई है।	कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तक है।
इन कानूनों को लेकर कोई सलाह-मराविराया चर्चा नहीं की गई है।	दो दशकों तक विचार-विमर्श हुआ है। साल 2000 में शक्तिहाल गुरु कमीटी से इसकी युरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल APMC एक्ट; 2007 के APMC Rules; 2010 में दृष्टियाणि, पंचाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्थानी; 2017 का मॉडल APLM एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी।



डेढ़ गुना MSP दिया, जिस सरकार ने पिछले 6 साल में MSP के जरिए लगभग दोगुनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वह सरकार MSP कभी बंद नहीं करेगी। MSP जारी है और जारी रहेगी।

किसान भाइयो और बहनो,

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए किसान कल्याण, उनके जीवन की सबसे अहम प्रतिबद्धताओं में से एक है। किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार लगातार फैसले ले रही है।

बीते 6 वर्षों में किसान को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा बीज से बाजार तक हर वो फैसला लिया गया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए, उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए।

आप भी जानते हैं कि हमारे देश में 80 फीसदी छोटे किसान हैं, जिनकी जोत एक-दो एकड़ की है। ऐसे किसान आजादी के बाद से ही खेती सिर्फ पेट पालने के लिए करते रहे हैं। सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ इन छोटे किसानों को हो रहा है।

पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 6 हजार रुपये सालाना आपको देने के पीछे यही मकसद है कि मुश्किल वक्त में आप कर्ज न लें। फसल बीमा का कवच आपको प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल की भरपाई करता है। सॉयल हेल्थ कार्ड से किसान को अपनी जमीन की सेहत का सही पता चल रहा है तो नीम कोटिंग यूरिया ने खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगाकर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब दाता ऊर्जादाता भी बने, देश इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है।

किसानों की एक दिक्कत यह भी रही है कि ज्यादातर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सेंटर गांव के बजाए बड़े शहरों के पास बने हुए हैं। इस वजह से किसानों को इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए अब 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है।

इन प्रयासों के बीच हमने यह भी देखा है कि कैसे किसान की गाढ़े पसीने की उपज को कुछ लोग बाजार की उपलब्धता नहीं होने के कारण कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते थे। भारत के किसान को यह अधिकार तक नहीं था कि वह अपने खेत में होने वाली उपज की कीमत तय कर सके, उसे जहां चाहे वहां बेच सके।



किसान की इस मजबूरी को हर कोई जानता था, समझता था। हमसे पहले जो सरकारें थीं, वो भी किसानों को मंडी के साथ खुला बाजार देने की वकालत करती थीं। इस बारे में अटल जी की सरकार के समय में वर्ष 2001 में संघाद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अटल जी के बाद 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और वह भी इन सुधारों के समर्थन में रही, इन सुधारों को अपने घोषणापत्र में लिखती रही।

सच्चाई यही है कि किसानों को बांध देने वाली पुरानी व्यवस्था से कभी कोई सहमत नहीं रहा। आज इस पत्र के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि बीते 20-25 वर्षों में किसी किसान नेता या संगठन का एक भी वक्तव्य दिखा दें, जिसने कहा हो कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अन्य विकल्प नहीं मिलने चाहिए, जो व्यवस्था चली आ रही है, वही बेहतर है। हमारे देश में तो बड़े-बड़े किसान संगठन, इन्हीं बंधनों से मुक्ति के लिए प्रदर्शन करते रहे थे। कृषि विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि इन सुधारों के बिना भारत के किसान की जिंदगी में बदलाव लाना मुश्किल है।

'साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो हमने इन सुधारों पर नए सिरे से चर्चा शुरू की। राज्य सरकारों को मॉडल कानून भेजे गए। मुख्यमंत्रियों की कमेटियों में चर्चाएं हुईं। 6 माह में हम देश के करोड़ों किसानों तक इस बात को लेकर गए। करीब डेढ़ लाख ट्रेनिंग और वेबिनार सेशन के जरिए किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों और नए कृषि कानून के प्रावधानों पर चर्चा की। और तब जाकर ये नए कृषि कानून अस्तित्व में आए हैं।'

किसान भाइयो-बहनो,

मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। APMC को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ-साथ खुला बाजार आपको अपने घर पर ही अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेचने का विकल्प भी देगा। साथ में खेत से मंडी तक अनाज ले जाने का भाड़ा भी बचाएगा। फिर मंडी का विकल्प तो ही ही। कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। बीते 5-6 वर्षों में कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इन्हें आने वाले समय में और आधुनिक बनाया जाएगा।

जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वे लोग पूरी तरह से यह काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। जब किसान और व्यापारी के बीच एग्रीमेंट सिर्फ उपज का होगा तो जमीन कैसे चली जाएगी? नए कानून में साफ उल्लेख है कि



जमीन पर किसान का ही मालिकाना हक रहेगा। जो सरकार गांवों में रहने वाले हर परिवार को स्वामित्व योजना के जरिए उसके घर का भी मालिकाना हक प्रदान कर रही हो, वह किसानों की एक इंच जमीन भी किसी को छीनने नहीं देगी।

हमारी सरकार नीयत और नीति दोनों से किसान के लिए प्रतिबद्ध है।

बहनों और भाड़ियों,

एमएसपी, मंडी और जमीन पर कब्जे को लेकर जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

हम किसानों और उनके संगठनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनकी हर चिंता का निराकरण करने के लिए हर समय तैयार हैं।

लेकिन किसानों की आड़ में कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा रचे गए कुचक्क को समझना भी उतना ही आवश्यक है।

देश का दुर्भाग्य है कि आज अपने आप को Neutral बताने वाले, बुद्धिजीवी मानने वाले कुछ लोग बेशर्मी के साथ अपनी ही कहीं गई बातों के ठीक विपरीत बोल रहे हैं। लेकिन जनता से कुछ छिपा नहीं है। देश उनके पुराने बयान भी देख रहा है और आज उनका असली चेहरा भी।

ये लोग सोच रहे हैं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये सरकार का नुकसान करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि इनके निशाने पर आप हैं, देश के किसान हैं, देश के युवा हैं। इन लोगों ने निर्दोष किसानों को राजनीति की कठपुतली बनाने का प्रयास किया है।

जो कांग्रेस अपनी सरकार में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 8 साल तक दबाकर बैठी रही, वह कांग्रेस किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है?

जो कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कहती रही कि किसानों को मंडी के अलावा भी उपज बेचने के लिए अलग विकल्प मिलने चाहिए, वह अब किसानों को क्यों जकड़े हुए ही देखना चाहती है। यूपीए सरकार के जो कृषि मंत्री इन्हीं सुधारों के पक्ष में चिट्ठियाँ लिखा करते थे, उन्होंने अब यू-टर्न वर्यों ले लिया है?



जो आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में लिख रही थी कि किसानों को मंडी के बाहर भी उपज बेचने की सुविधा देगी, वह अब उल्टा क्यों बोलने लगी है?

दुड़ा कमेटी ने कृषि सुधारों की बात कही थी, उस कमेटी में अकाली दल के बड़े नेता भी थे तो फिर आज वे अलग सुर में क्यों बोल रहे हैं?

वो किसान संगठन जो दो-तीन महीने पहले तक इन सुधारों का समर्थन कर रहे थे, हमारी सरकार को बधाई दे रहे थे, अब अचानक प्रदर्शन क्यों करने लगे हैं?

मेरे किसान भाइयो और बहनों,

दशकों तक हमारे देश में सिर्फ घोषणा करके घोट बटोरने की राजनीति हुई है।  
घोषणा करके प्रामाणिकता के साथ उनको पूरा करने वाली सरकार देश अब देख रहा है।

देश के लोगों का हम पर आशीर्वाद बढ़ता देख, कुछ दलों को यह भी लगने लगा है कि उन्हें अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, किसानों में भ्रम फैलाकर वापस मिल जाएगी।

यह भ्रम दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आंदोलनरत किसानों के साथ हर विषय का समाधान करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन, आपको इस बात से भी सतर्क रहना है कि इस आंदोलन में ऐसे लोग भी दाखिल हो गए हैं, जिनका लक्ष्य किसान हित कर्त्ता नहीं है। पिछले छह सालों में आपने देखा होगा कि एक ही कुनबे के, एक ही आचार-विचार के लोगों का समूह कभी विद्यार्थियों तो कभी दलित समाज, कभी महिलाओं तो कभी माझनारिटी- अलग-अलग वर्गों के पीछे छिपकर समाज में असंतोष और देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करता रहा है।

आज ये लोग एक बार फिर देश के अन्नदाताओं के पीछे छिपकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा और अराजकता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बल दे रहे हैं।

ये लोग देश के अन्नदाताओं के पीछे छिपकर दंगे के आरोपियों को, हिंसा फैलाने के आरोपियों को तुरंत छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं।

ये लोग देश के अन्नदाताओं के पीछे छिपकर गांधी जी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाते हैं, पूज्य



बापू का अपमान करते हैं, उन्हीं बापू का जिन्होंने चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था।

सिंचाई का पानी किसानों तक न पहुंचे, इसके लिए इन संगठनों ने वर्षों तक एड़ी-चोटी का जोर लगाए रखा, हर कानूनी दांव-पेच खेला। यही लोग किसानों तक बिजली पहुंचाने के कार्य में और बांधों के निर्माण में वर्षों तक बाधाएं डालते रहे हैं। ये लोग आज किसानों के हितैषी होने का पारंपरं कर रहे हैं।

जब देश आत्मनिर्माण भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर्म लोकल हो रहा है, तो भारत के उत्पादों का बहिष्कार करने का ऐलान करने वाले इन लोगों के इरादों को पहचाना होगा।

जब लेह-लद्धाख में सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हुई हों, जब कई फीट बर्फ गिरी हुई हो, तो सीमा की तरफ जवानों के लिए रसद ले जा रही ट्रेनें रोकने वाले ये लोग किसान हो नहीं सकते।

इन लोगों की वजह से हमें अपने सैनिकों तक रसद और अन्य जरूरी सामान हवाई मार्ग एवं अन्य साधनों से पहुंचाना पड़ रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई इन वैकल्पिक इंतजामों में लग रही है।

पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी।

आज ये लोग फिर सन 62 की ही भाषा बोल रहे हैं।

इन लोगों ने किसानों के मन की पवित्रता को भी अपने घिनौने इरादों और साजिशों से अपवित्र और प्रदूषित करने का प्रयास किया है।

हमारे किसान भाड़यों-बहनों को आज विचार करना चाहिए कि जब उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था, तब उनका लक्ष्य क्या था और आज क्या-क्या बातें हो रही हैं?



मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि ऐसे किसी भी बहकावे में आए बिना, कृपया तथ्यों के आधार पर चिंतन-मनन करें।

आपकी हर शंका-आशंका को दूर करना, उसका उत्तर देना हमारी सरकार का दायित्व है। हम अपने इस दायित्व से न कभी पीछे हटे हैं और न ही कभी पीछे हटेंगे।

'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया है। विंगत 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है।

आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे।

इन्हीं कृषि सुधारों की ऊर्जा से हम मिलकर भारत की कृषि को समृद्ध बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे।

आपका अपना,

११८१  
१८१२१२०

**नरेन्द्र सिंह तोमर**

### अन्नदाताओं को आश्वासन

MSP के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है।

APMC के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा।

राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा।

कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है।

कॉन्ट्रैक्ट्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते।

कॉन्ट्रैक्ट्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता।

स्थिति याहे कुछ भी हो, लेकिन कानून किसानों की जमीन को जबत किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता है।

